2016 का विधेयक संख्यांक 132

[दि दलित, बैकवर्ड एण्ड ऑप्रेस्ड यूथ (डेवलपमेंट एण्ड वेलफेयर) बिल, 2016 का हिन्दी रूपांतर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

दलित, पिछड़े और दमित युवा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2016

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दलित युवाओं और अन्य पिछड़े वर्गों तथा दमित वर्गों के युवाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा उनके कल्याण और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दलित, पिछड़े और दमित युवा (विकास और कल्याण) अधिनियम, 2016 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार और अन्य मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''पिछड़े'' से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा पिछड़े के रूप में घोषित की गई जातियों से संबंध रखने वाले युवा अभिप्रेत हैं;

(ग) ''दलित युवा'' से यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले युवा अभिप्रेत हैं;

(घ) ''दमित युवा'' से ऐसे युवा अभिप्रेत हैं जिनके साथ यथास्थिति, उस राज्य के अधिसंख्य लोगों द्वारा अपनाए गए आस्था या धर्म,का अनुयायी नहीं है या ऐसी जाति से संबंध रखता है जो अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है या गरीबी का पीड़ित है, के कारण समाज में क्रूरतापूर्वक या अन्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार किया गया है;

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) ''युवा'' से अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाला लेकिन पैंतालीस वर्ष से अन्यून आयु वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है।

व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

3. (*1*) केन्द्रीय सरकार यथाधीघ्र राष्ट्र के दलित, पिछड़े और दमित युवाओं के समग्र विकास और कल्याण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करेगी।

(*2*) धारा (*1*) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित का उपबंध किया जा सकेगा:

(क) चिकित्सा, तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा सहित नि:शुल्क उच्चतर शिक्षा;

(ख) ख्याति प्राप्त प्रबंधन संस्थानों में सुनिश्चित प्रवेश हेतु प्रबंधन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नि:शुल्क कोचिंग, प्रशिक्षण;

(ग) नि:शुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री, उपस्कर और शैक्षिक उपकरण;

(घ) पात्र मामलों में छात्रवृत्तियां;

(ङ) नि:शुल्क छात्रावास सुविधाएं;

(च) नि:शुल्क सार्वजनिक यातायात सुविधाएं;

(छ) ऐसी दर पर मासिक जेब खर्च भत्ते जो विहित की जाए;

(ज) नि:शुल्क मनोरंजन सुविधाएं;

(झ) सभी पुस्तकालयों और तकनीकी संस्थाओं में नि:शुलक प्रवेश;

(ञ) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पात्र युवा को खेलों में प्रशिक्षण और देश में तथा देश से बाहर होने वाले खेलकूद क्रियाकलापों, कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सुविधाएं तथा समुचित प्रोत्साहन देना;

(ट) विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, छात्रावासों और तकनीकी संस्थाओं में इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी युवा छात्रों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भोजन का उपबंध;

(ठ) नि:शुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य देख-रेख;

(ड) कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कारोबार, व्यापार, पेशे आदि में शिक्षुता प्रदान करना;

(ढ) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले शारीरिक रूप से स्वस्थ युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले युवाओं को रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए वरीयता प्रदान किया जाना;

(ण) सभी अखिल भारतीय सेवाओं और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों और रेलवे, बैंक कर्मचारी चयन आयोग जैसे अन्य परीक्षा निकायों तथा केन्द्र, राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों में सरकार के अन्य निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग और अध्ययन सामग्री प्रदान करना;

(त) ऐसी अन्य सुविधाएं, प्रोत्साहन और कल्याणकारी उपाय जोकि समय-समय पर विहित किए जाएं।

रोजगार और बेरोजगारी भत्ता।

4. (*1*) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले युवाओं को उनकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार लाभप्रद रोजगार प्रदान करेगी।

(*2*) यदि समुचित सरकार उन्हें लाभप्रद रोजगार प्रदान करने में असफल रहती है तो युवाओं को, ऐसी दरों पर जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, उन्हें लाभदायक रोजगार प्रदान किये जाने तक मासिक आधार पर बेरोजगारी भत्ते का संदाय किया जाएगा।

प्रकीर्ण उपबंध।

5. (*1*) समुचित सरकार —

(*i*) प्रत्येक राज्य की राजधानी और संघ राज्यक्षेत्र तथा प्रत्येक जिले में, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ समितियां नियुक्त करेगी।

(*ii*) दलित, पिछड़े, और दमित वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ग्राम उद्योग उपक्रम, डेयरी परियोजनाओं, खाद्य प्रसंस्करण, मुर्गीपालन, उचित दर वाली दुकान, एल॰पी॰जी॰ वितरण आदि के लिए ग्राम और जिला स्तर पर युवा सहकारी समितियों को बढ़ावा देगी, और कच्ची सामग्री प्राप्त करने और विपणन आदि को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगी;

(*iii*) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले युवाओं की स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से नाममात्र ब्याज दर पर अपेक्षित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

(*iv*) इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले युवाओं के लिए ऐसे कल्याणकारी उपाय करेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सरकार को उचित और आवश्यक प्रतीत हों।

केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित निधियां प्रदान किया जाना।

6. केन्द्रीय सरकार इस संबंध में संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपोक्षित निधियां उपलब्ध करायेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

7. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगी। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

युवा किसी सशक्त राष्ट्र की ताकत होते है और राज्य व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। हाल ही के समय में युवाओं ने राजतंत्र शक्ति का तख्ता पलट करते हुए कुछ राजतंत्रों को गणराज्यों में परिवर्तित कर दिया है। इस प्रकार, युवाओं का प्रत्येक देश के सामाजिक-राजनीतिक क्रियाकलापों में अहम स्थान है और हमारे राष्ट्र में भी यही स्थिति है। इस ताकत को बनाए रखने के लिए शिक्षा, गरीबी, पोषण, रोजगार अवसरों, स्व-रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, खेल-कूद आदि से संबंधित समस्याओं से युवाओं को बचाने के लिए सुस्पष्ट युवा-नीति अपेक्षित है। इस समय, देश में हमारे युवाओं के सामर्थ्य को उपयोग में लाने और उनकी ऊर्जा का देश की प्रगति में प्रयोग करने के लिए कोई संस्थागत तन्त्र नहीं है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे समुदायों, जिनका सदियों से दमन किया गया है, से संबंध रखने वाले युवाओं की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। आज भी दलित युवाओं को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है हालांकि दलितों के मसीहा बाबासाहेब बी॰आर॰ अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित और दी गई आरक्षण नीति के कारण उनमें से अनेक युवाओं ने कुछ प्रगति की है लेकिन दलित युवाओं की तरफ अभी भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि, राष्ट्र के दलित, पिछड़े हुए और दमित युवाओं को उनके समग्र विकास के लिए सभी अवसर प्रदान करके उनमें राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े होने की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है ताकि वे भी अपनी पूर्ण क्षमता से देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। सुविधाएं और अवसर अधिकार के तौर पर प्रदान किए जाने चाहिए। अच्छी शिक्षा उनका अधिकार होना चाहिए और यह केवल कुलीन वर्ग का ही विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की गारंटी देने की आवश्यकता है और यदि रोजगार अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए। ग्रामीण और शहरी दलित युवाओं के बीच असमानताओं को समाप्त करके उन्हें उत्पादन प्रक्रियाओं से सीधे जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति की नितांत आवश्यकता है।

नई दिल्ली;
13 अप्रैल, 2016
24 चैत्र, 1938 (शक)

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 में दलित, पिछड़े और दमित युवाओं के लिए राष्ट्रीय नीति का उपबंध किया गया है जिसके अंतर्गत ऐसे युवाओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। विधेयक के खंड 5 में सरकार द्वारा रोजगार के अवसर और बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किये जाने का उपबंध किया गया है। खंड 7 केन्द्र सरकार के लिए इस विधेयक के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियां प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। अत: इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय होगा। अनुमान है कि इसमें भारत की संचित निधि में से तीस हजार करोड़ रुपए का वार्षिक आवर्ती व्यय होगा।

परिसंपत्तियों और अवसंरचना के सृजन के लिए बीस हजार करोड़ रुपए तक का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 7 इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये नियम केवल ब्यौरों के मामलों से संबधित होंगे। अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

———

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित दलित युवाओं और अन्य पिछड़े वर्गों तथा दमित वर्गों के युवाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा उनके कल्याण और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

———

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—575LS(S3)—04.05.2016.